

## जनपद जालौन की भ्रमण आख्या

डा० प्रीती मदान – परामर्शदाता (क्वालिटी एशोरेंस) श्री मुकेश कुमार– परामर्शदाता (मातृ स्वास्थ्य) सुश्री पूजा देवी – पी०सी०(मातृ स्वास्थ्य)	दिनांक – 14 से 16 मार्च 2018 स्थान– जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय, ब्लॉक पी०एच०सी० रामपुरा।
---	--

अवलोकन के बिन्दु (कार्यवाही का उत्तरदायित्व)	कारण	अपेक्षित कार्यवाही/अद्यतन स्थिति
अवलोकन के बिन्दु	कारण	उत्तरदायित्व एवं समयसीमा
<p>1. समीक्षा के दौरान पाया गया कि सी०एच०सी० जालौन के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समस्त कार्यरत स्टाफ नर्स का वेतन 02 माह से आहरित नहीं किया गया है।</p> <p>2. जे०एस०एस०के० डाइट मद में सी०एच०सी० बबई, छिरिया, कदोरा एवं डकोर में मात्र 20 से 25 प्रतिशत ही भुगतान किया गया है।</p> <p>3. पी०पी०आई०य०सी०डी० फोरसेप की खरीद में कोई व्यय नहीं किया गया है, जबकि पी०एच०सी० रामपुरा में फोरसेप न होने की वजह से पी०पी०आई०य०सी०डी० इन्सेन नहीं हो पा रहा है।</p> <p>4. आर०बी०एस०के० व सर्पोटिव सुपरविजन के अन्तर्गत गाड़ियों का सी०एच०सी० डकोर द्वारा कम व्यय किया गया।</p> <p>5. कलीनिंग ऑफ सबसेन्टर के अन्तर्गत सी०एच०सी० नदीगांव, डकोर एवं बबई द्वारा 25 प्रतिशत ही व्यय किया गया।</p> <p>6. आशा की 6'7 मॉड्यूल द्वितीय प्रशिक्षण सी०एच०सी० नदीगांव, माधोगढ़ एवं तदौरा में नहीं किया गया है।</p> <p>7. सी०एच०सी० छिरिया में महिला नसबन्दी हेतु शून्य व्यय किया गया है।</p> <p>8. पुरुष नसबन्दी हेतु जिला अस्पताल के अतिरिक्त समस्त ब्लॉकों द्वारा शून्य व्यय किया गया है।</p> <p>9. एच०आर०पी० आशा व ए०एन०एम० के इन्सेन्टिव का भुगतान समस्त ब्लॉकों में 25 प्रतिशत से कम किया गया है।</p>	<p>स्टाफ नर्सों द्वारा नियमित टीकाकरण में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया गया।</p> <p>बैन्डर द्वारा बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये।</p> <p>जानकारी का अभाव</p> <p>जानकारी का अभाव</p> <p>प्रशिक्षण नहीं किया गया</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वहां कैम्प आयोजित नहीं होते।</p> <p>लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि नहीं है।</p> <p>लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>( चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी) 20.03.2018</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक एवं बैम) 20.03.2018</p> <p>( ए०सी०एम०ओ०, फैमली प्लानिंग डैम एवं डी०पी०एम०) 20.03.2018</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक एवं बैम) 20.03.2018</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक एवं बैम) 20.03.2018</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक, बी०सी०पी०एम० एवं बैम) डी०सी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रशिक्षण अप्रैल में प्रस्तावित है।</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक, बी०सी०पी०एम०, बी०पी०एम० एवं बैम)</p>

<p>10. बायोमेडिकल वेस्ट में जिला चिकित्सालय द्वारा लगभग 50 प्रतिशत भुगतान किया गया है।</p> <p>11. जनपद स्तर पर आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों में न्यूनतम व्यय किया गया है।</p> <p>12. आशा प्रोत्साहन धनराशि(माँ, एम0डी0आर0, परिवार नियोजन, एच0बी0एन0सी0, फैमली प्लानिंग एवं एन0आर0सी0 ) कार्यक्रमों के अन्तर्गत न्यूनतम भुगतान किया गया है।</p> <p>13. ब्लड बैंक के समस्त एफ0एम0आर0 मदों में जनपद द्वारा न्यूनतम व्यय किया गया।</p> <p>14. एस0एन0सी0यू0 के ऑपरेशनल में 39 प्रतिशत व्यय किया गया।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वेन्डर द्वारा नियमित सेवायें नहीं दिये जाने की दशा में कटौती की गयी। गाइडलाइन की जानकारी का अभाव</p> <p>गाइडलाइन की जानकारी का अभाव</p> <p>क्वालिटी कन्सलटेंट द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी कार्यक्रम के प्रति रुचि न लिया जाना।</p>	<p>(चिकित्सा अधीक्षक, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बैम)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)</p> <p>आर0एन0टी0सी0पी0 नोडल ऑफिसर द्वारा दिनांक 20.03.2018 तक 80 प्रतिशत भुगतान का आश्वासन दिया गया।</p> <p>(चिकित्सा अधीक्षक, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बैम)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला क्वालिटी परामर्शदाता)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, जिला महिला एवं जिला क्वालिटी परामर्शदाता)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, जिला महिला चिकित्सालय)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बैम) 20.03.2018</p> <p>ए0सी0एम0ओ0, डी0पी0एम0, डैम, जिला क्वालिटी कन्सलटेंट 25.03.2018</p>
<p>15. कायाकल्प के प्रशिक्षण के मद में कम व्यय किया गया है।</p> <p>16. कायाकल्प के ट्रावर्सिंग मद में व्यय कम हुआ है।</p> <p>17. क्वालिटी एश्योरेंस के अन्तर्गत सर्पेटिव सुपरविजन मद में शून्य व्यय हुआ है।</p>	<p>जिला महिला चिकित्सालय द्वारा कायाकल्प के प्रशिक्षण का भुगतान नहीं किया गया है।</p> <p>सी0एच0सी0 बबई एवं जिला चिकित्सालय द्वारा भुगतान नहीं किया गया।</p> <p>ए0सी0एम0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में टैक्सी परमिट वाली गाड़ियों की एजेंसी उपलब्ध नहीं है। इस पर सुझाव दिया गया कि जनपद झांसी के वेन्डर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाये।</p>	<p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, जिला महिला चिकित्सालय)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, जिला महिला चिकित्सालय)</p> <p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, जिला महिला चिकित्सालय)</p>
<p>18. क्वालिटी एश्योरेंस के पेस्ट कन्ट्रोल मद में व्यय कम हुआ</p> <p>19. एन0आर0सी0 के समस्त मदों में व्यय अत्यधिक कम है।</p>	<p>जिला चिकित्सालय द्वारा सफाई कर्मचारी ही नहीं लगाये गये तथा 14 दिनों से कम रुकने वाले लाभार्थियों के परिजनों का भुगतान नहीं किया गया है।</p>	<p>(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय)</p> <p>25.03.2018</p>

<p>20. एन0यू0एच0एम0 के समस्त मदों में न्यूनतम व्यय किया गया है।</p> <p>21. पी0ओ0एल0 मद में न्यूनतम व्यय किया गया है।</p>	<p>अवगत कराया गया कि जनपद में बिजली की समस्या न होने के कारण जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।</p>	<p>ए0सी0एम0एम0ओ0 एन0यू0एच0एम0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि 25.03.2018 तक अधिकतम व्यय कर दिया जायेगा।</p>
--	--	--

Babu Devi  
PC MIA

Mukesh Kumar  
TC (M.A)